फर्द अहकाम

[नियम 26]

दालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा मुकाम मालाखेड़ा

कमलेश बनाम मंगतु

मुकदमा दावा नं० 1180 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	23/05/25 वकील वादी उप०। वादी वकील की अन्तिम बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक - 18/06/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)	
	13/06/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 18/07/25 को पेश हो। रीडर	
	18/07/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। आइन्दा दिनांक 12/09/25 को पेश हो। रीडर	
	12/9/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 19/9/25 को पेश हो। रीडर	
	19/9/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। आइन्दा दिनांक 17/10/25 को पेश हो। रीडर	
	17/10/25 पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीवकील द्वारा वाद आगे नहीं चलाते हुए इसीस्तर पर वाद Not Press मे खारिज कराने का कथन किया। वादी के हस्ताक्षर कराये गये। वादी की पहचान वकील वादी ने की। अतः वकील वादी के द्वारा वाद Not Press करने पर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर रोकमही। वाद की ई जमा लिख अवधार है। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)	लोक अदालत की भावना के अनुसरण में आज नवीन चलाना चाहती। कमलेश का गुप्ता